



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

न्यायसंगत वितरण: GST पर PAC रिपोर्ट

न्यायसंगत वितरण: GST पर PAC रिपोर्ट

संदर्भ

- संसद की लोक लेखा समिति (PAC) की 19वीं रिपोर्ट में GST ढाँचे में व्यापक बदलाव का आह्वान किया गया है, जिसमें प्रक्रियागत अकुशलताओं और अनुपालन चुनौतियों को दूर करने के लिए संशोधित 'GST 2.0' का प्रस्ताव किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के बारे में

- यह भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक, बहु-चरणीय, गंतव्य-आधारित कर है।
- इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया था, जिसने वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और अन्य जैसे कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ली।
- इसे GST परिषद द्वारा शासित किया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

सुधारों की आवश्यकता: PAC रिपोर्ट में चिंताएँ उजागर

- अप्रत्यक्ष कर राजस्व में गिरावट:** कोविड-19 महामारी से पहले वित्त वर्ष 18 और वित्त वर्ष 20 के बीच अप्रत्यक्ष कर राजस्व में लगभग 2% की गिरावट आई।
 - महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे उच्च राजस्व वाले राज्य महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि राजस्व पुनर्वितरण उनके योगदान के अनुपात में नहीं है।
 - कम कर संग्रह क्षमता वाले राज्य, जैसे कि पूर्वोत्तर और आर्थिक रूप से कमज़ोर क्षेत्र, GST के तहत पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए संघर्ष करते हैं।
- राजकोषीय संघवाद पर प्रभाव:** केंद्र सरकार GST दरों, छूटों और प्रक्रियात्मक नियमों को नियंत्रित करती है, जिससे कराधान में राज्यों की स्वायत्तता सीमित हो जाती है।
- राज्यों की क्षतिपूर्ति निधि:** छह वर्षों से अधिक समय तक राज्यों की क्षतिपूर्ति निधि का ऑडिट न होना और उसे अंतिम रूप न दिया जाना।
 - इसने संघीय कर ढाँचे के कामकाज पर दबाव डाला और राज्यों को राजस्व घाटे के लिए मुआवज़ा देने में विलंब की।
- केंद्रीकरण की प्रवृत्ति:** प्रमुख राजस्व-उत्पादक राज्यों ने राजकोषीय स्वायत्तता में कमी और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में तीव्र गिरावट पर चिंता व्यक्त की है।
 - GST की गंतव्य-आधारित प्रकृति विनिर्माण-भारी राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
- जटिल पंजीकरण प्रक्रियाएँ:** बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण और अन्य पंजीकरण बाधाओं के मुद्दों को 'एक राष्ट्र, एक कर' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में बाधाओं के रूप में पहचाना गया।
- राजस्व रिसाव:** रिपोर्ट कर चोरी और धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों पर चिंताओं को उजागर करती है, जो राजस्व वितरण निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं।
- अनजाने में हुई गलतियों के लिए आपराधिक दंड:** PAC ने अनजाने में अनुपालन विफलताओं के लिए गंभीर दंड का सामना करने वाले ईमानदार करदाताओं के मुद्दे को उठाया, प्रवर्तन के लिए अधिक संतुलित दृष्टिकोण का आह्वान किया।

सुधार के लिए सिफारिशें

- GST 2.0:** रिपोर्ट में 'GST 2.0' विकसित करने के लिए व्यापक समीक्षा की माँग की गई है, जो राज्यों की GST राजस्व में अधिक हिस्सेदारी की माँग को संबोधित करेगी, जो वर्तमान 50% से बढ़कर 70%-80% के करीब होगी।

- GST 2.0 के साथ, अधिकारी निम्न कार्य कर सकते हैं: फर्जी चालान को रोकने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करना।
 - विसंगतियों का पता लगाने के लिए वास्तविक समय लेनदेन निगरानी का उपयोग करना।
 - कर चोरी करने वालों के खिलाफ दंड और कानूनी कार्रवाई को मजबूत करना।
- समय पर ऑडिट और अपडेट: PAC ने लंबित मामलों पर समय पर ऑडिट और अपडेट सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के साथ एक औपचारिक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की।
- प्रक्रियाओं का सरलीकरण: अनुपालन भार को कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए GST प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और GST पोर्टल की उपयोगकर्ता-मित्रता को बढ़ाना आवश्यक है।
 - इसका उद्देश्य MSMEs पर अनुपालन भार को कम करना है।
- GST मुआवजे को फिर से शुरू करना: विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों के लिए मुआवजे के समर्थन को अगले 3-5 वर्षों के लिए बढ़ाना।
- बेहतर GST पोर्टल: PAC ने त्रुटियों और विलंब को कम करने के लिए फाइलिंग प्रक्रिया के हर चरण में करदाताओं के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन और सहायता की सिफारिश की है।
- कर अनुपालन को बढ़ाना: धोखाधड़ी को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर उपायों को लागू करना कि कर राजस्व का उचित वितरण हो।
- GST राजस्व हस्तांतरण सूत्र: आर्थिक क्षमता और जरूरतों के आधार पर निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए GST राजस्व के प्रगतिशील वितरण के लिए एक नया तंत्र विकसित करना।
- GST दरों की आवधिक समीक्षा: GST दरों को आर्थिक स्थितियों के साथ संरेखित करने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित समीक्षा प्रक्रिया की स्थापना करना।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: ई-इनवॉइसिंग प्रणाली और AI-आधारित निगरानी उपकरणों को लीकेज को कम करने के तरीकों के रूप में सुझाया गया है।

निष्कर्ष

- PAC के निष्कर्ष GST ढाँचे में न्यायसंगत वितरण और प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- चुनौतियों का समाधान करके, भारत एक अधिक संतुलित और प्रभावी कर प्रणाली सुनिश्चित कर सकता है जो आर्थिक विकास और राजकोषीय संघवाद दोनों का समर्थन करती है।
- इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक प्रयास महत्वपूर्ण होंगे।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत न्यायसंगत राजस्व वितरण का कार्यान्वयन प्रमुख चुनौतियों का समाधान कैसे कर सकता है तथा भारत के संघीय राजकोषीय ढाँचे को कैसे मजबूत कर सकता है?

